भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *68

(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

सहारा इंडिया समूह के निवेशक

***68. श्री महाबली सिंहः**
श्री रामशिरोमणि वर्माः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहारा इंडिया समूह अपने करोड़ों निवेशकों, जिनमें देश के कई गरीब किसान और मजदूर शामिल हैं, को धन के भुगतान में देरी कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो निवेशकों की संख्या और उनके द्वारा निवेश की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) निवेशकों का पैसा वापस करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) ऐसे कितने निवेशक हैं जिनका चिकित्सकीय इलाज चल रहा था और सहारा इंडिया समूह द्वारा अब तक भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई;
(ड़) सहारा इंडिया समूह द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण अब तक कितने लोगों ने आत्महत्या की है; और
(च) क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बना रही है ताकि गरीब किसानों, मजदूरों को उनका पैसा वापस मिल सके?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

*****

"सहारा इंडिया समूह के निवेशकों" के संबंध में श्री महाबली सिंह और श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. *68 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (च) सहारा की विभिन्न संस्थाओं में निवेशकों की संख्या और जमा राशि का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है-

क्र.सं.	सहारा इकाई का नाम	निवेशकों की संख्या (करोड़ में)	कुल जमा राशि (करोड़ रुपये में)
1.	सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल)	2.33	19,400.87
2.	सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल)	0.75	6,380.50

स्रोत: सेबी

2. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.08.2012 के आदेश के अनुसार, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और उनके प्रमोटरों और निदेशकों को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सेबी के पास कुल 25,781.37 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में, सहारा समूह द्वारा सेबी के पास 15,553.59 करोड़ रुपये जमा किए थे।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को यह भी निर्देश दिया कि वह एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के बांडधारकों को धन वापसी के लिए एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा संबंधित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने और प्रस्तुत रिकॉर्डों की काउंटर जांच के बाद ब्याज के साथ राशि वापस करें। तदनुसार, सेबी ने विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों और विज्ञापनों के माध्यम से धन वापसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल (सेवानिवृत्त) द्वारा दी गई सलाह और प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के आधार पर, सेबी ने 17,526 पात्र बॉन्डधारकों को कुल 138.07 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी है। सेबी ने, इसके अतिरिक्त, 21.12.2021 को एक वादकालीन आवेदन फाइल किया है, जिसमें इस मामले में उच्चतम न्यायालय से आगे के निर्देश मांगे गए हैं।

4. उपरोक्त सहारा संस्थाओं द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण व्यक्तिगत निवेशकों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

******